संलग्नक -38 (63)

जनपद सोनभद्र के रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट, सोनभद्र के अन्तर्गत मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रेणुकूट सोनभद्र को रिहन्द पावर स्टेशन से हिण्डालको प्लांट, रेणुकूट तक 132 केवी विद्युत पारेषण के लिये 25 वर्ष हेतु लीज पर दिये गये 6.394 हे0 वनभूमि भारत सरकार के आदेश सं0 8बी/04/2074/ 2000/ एफ.सी./ 726 दिनांक 06.10.2002 के कम में उ0प्र0 सरकार के शासनादेश संख्या जी.आई. 774/14–2–2000–749/72 दिनांक 02.03.2001 में उल्लिखित 13 शर्तो का अनुपालन आख्या निम्नवत् है :–

कमांक	शर्ते	अनुपालन आख्या
1	लीज पर दिये जाने के बाद भी प्रश्नगत वनभूमि का उपयोग उक्त याचक द्वारा केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा तथा उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा ।	प्रश्नगत वनभूमि का उपयोग हिण्डालको संस्थान द्वारा केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जा रहा है। उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं किया गया है ।
2	याचक विभाग के संबंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे संबंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचती है अथवा पहुँचाई जाती है तो उसके लिये संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर याचक विभाग द्वारा देय होगा।	याचक विभाग के संबंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे संबंधित कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायी गयी है और न ही भविष्य में पहुँचायी जायेगी ।
3	उक्त वनभूमि पट्टाधारक के उपयोग में लीज अवधि के अन्दर तब तक बनी रहेगी, जब तक कि पट्टाधारक को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी । यदि पट्टाधारक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो पट्टाधारक के लिये आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी ।	प्रश्नगत वनभूमि का उपयोग हिण्डालको संस्थान द्वारा केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जा रहा है व भविष्य में भी किया जायेगा ।
4	वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।	प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी अथवा उसके अभिकर्ताओं द्वारा जब वे आवश्यक समझें किया जाता है इसमें हिण्डालको संस्थान को कोई आपत्ति नहीं है।
5	प्रश्नगत वनभूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	प्रश्नगत वनभूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में हिण्डालको संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और न ही भविष्य में किया जायेगा ।

HINDALCO INDUSTRIES LTD. Sonebhadra 231217 RENUKOOT

For Hindalco Industries Limited
(Vivek Kumar)
Authorized Signatory)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पिपरी रेंज
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट, सोनभद्र

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट-सोनभद्र

6	संबंधित वनक्षेत्र में परियोजना पर कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईधन की आवश्यकता के लिये वनों को हानि न पहुँचायें, इसके लिये प्रस्तावक द्वारा उन्हें ईधन की लकड़ी अथवा अन्य ईधन सामग्री की आपूर्ति की जायेगी।	संबंधित वनक्षेत्र में परियोजना का कार्य पूर्व में भी पूरा हो चुका है अतः कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी को ईधन की कोई आवश्यकता नहीं है ।
7	वनभूमि पर यदि कोई वृक्ष खड़े हो और उनका पातन किया जाना आवश्यक हो तो वह केवल उ0प्र0 वन निगम द्वारा ही निस्तारित किया जायेगा ।	प्रश्नगत वनभूमि पर वृक्षों का कोई पातन नहीं किया जायेगा ।
8	प्रश्नगत वनभूमि का वर्तमान बाजार दर पर जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम एवं प्रीमियम का दस प्रतिशत वार्षिक की दर से लीज रेंट लिया जायेगा । चूँकि प्रस्तावक द्वारा पूर्व में प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया है अतः प्रीमियम नहीं वसूल किया जायेगा ।	प्रश्नगत वनभूमि का वर्तमान बाजार दर पर जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के दस प्रतिशत वार्षिक की दर से लीज रेंट रू 52,140.00 (रूपया बावन हजार एक सौ चालीस मात्र) का भुगतान संस्थान द्वारा निरन्तर किया जा रहा है।
9	पट्टाधारक द्वारा उक्त शर्तों एवं अन्य सामान्य शर्तो को सम्मिलित करते हुये एक पट्टाविलेख का आलेख प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे शासकीय हस्तांतरक से विधीक्षित करवाया जायेगा । ऐसे पट्टाविलेख के विधीक्षण हेतु न्याय (कन्वेनसिंग) कोष्ठक के शासनादेश संख्या 198/7–जी0सी0–89–3–89, दिनांक 19.06.1989 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखा शीर्षक "0070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–01–न्याय प्रशासन–501–सेवायें और सेवा फीस–01–की गयी सेवाओं के लिये भुगतानों की उगाही" के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमाकर ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टा विलेख के आलेख्य के साथ उपलब्ध करायी जायेगी ।	इस बिन्दु के अनुपालन में संस्थान द्वारा चालान संख्या एएफ0003 दिनांक 15.01.2021 द्वारा रू0 6000.00 (रूपया छः हजार मात्र) विधीक्षण शुल्क के रूप में जमा कर दिया गया है, जिसकी प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, रेणुकूट के कार्यालय में तत्समय उपलब्ध करा दिया गया है ।
10	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप याचक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा दुगुने अवनत वनक्षेत्र अर्थात 6.394x2 = 12.788 हे0 में दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप हिण्डालको संस्थान के व्यय पर वन विभाग द्वारा दुगुने अवनत वनक्षेत्र अर्थात 6.394x2 = 12.788 हे0 में दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 25941/– प्रति हेक्टेयर की दर से रू0 3,37,233.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट स0 223160 दिनांक 24.08.2000 अपने पत्र दिनांक 26.08.2000 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, रेणुकूट के कार्यालय में तत्समय उपलब्ध करा दिया गया है ।
11	वन संरक्षण अधिनियम के संलग्नक–5 के पारेषण लाईनों से संबंधित दिशा निर्देशों को याचक विभाग द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।	वन संरक्षण अधिनियम के संलग्नक–5 के पारेषण लाईनों से संबंधित दिशा निर्देशों का अनुपालन याचक विभाग द्वारा किया जा रहा है व भविष्य में भी किया जायेगा ।

For Hindalco Industries Limited

HINDALCO INDUSTRIES LTD. Sonebhadra 231217 RENUKOOT

(Vivek Kumar)
Authorized Signatory)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पिपरी रेंज
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट, सोनभद्र

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट-सोनभद्र

12	याचक विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदोपरान्त रख–रखाव के दौरान स्थानीय वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा ।	याचक विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदोपरान्त रख–रखाव के दौरान स्थानीय वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया है और न ही भविष्य में पहुँचाया जायेगा।
13	पट्टेदार उचित मूल्य पर 2000 गैलन पीने का पानी प्रतिदिन फारेस्ट कालोनी को उपलब्ध करायेगा ।	पट्टेदार उचित मूल्य पर 2000 गैलन पीने का पानी प्रतिदिन फारेस्ट कालोनी को उपलब्ध कराया जा रहा है व भविष्य में भी कराया जायेगा ।

For Hindalco Industries Limited

(Vivek Kumar)
Authorized Signatory)

HINDALCO INDUSTRIES LTD. Sonebhadra 231217 RENUKOOT

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पिपरी रेंज
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट, सोनभद्र

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट-सोनभद्र